



ECIL द्वारा निर्मित उक्त मल्टी पोस्ट सिंगल वोट इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीनों के लिए मतपत्र का प्रारूप निम्न प्रकार विहित किया जाता है:-

1. मतपत्र की कुल लम्बाई 458 मिलीमीटर होगी और उसकी चौड़ाई 138 मिलीमीटर होगी।
2. मतपत्र के ऊपर 12.7 मिलीमीटर ऊंचाई में और 138 मिलीमीटर चौड़ाई में खाली जगह होगी।
3. उक्त मद संख्या-2 में वर्णित मतपत्र के ऊपर खाली जगह के ठीक नीचे दो मिलीमीटर की आर-पार मोटी लाईन होगी।
4. उक्त मद संख्या-3 में वर्णित लाईन के नीचे प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा उसे आवंटित प्रतीक प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए पृथक पैनल में मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नाम के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक भी पृथक पैनल में मुद्रित होगा।
5. निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी का पैनल 25.4 एम.एम. ऊंचाई में और 138 एम.एम. चौड़ाई के आकार में होगा।
6. अभ्यर्थियों के पैनल एक दूसरे से दो एम.एम. मोटी लाईन से पृथक किये जायेंगे। तथा अंतिम अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प का पैनल भी एक दूसरे से दो एम.एम. मोटी लाईन से पृथक किया जायेगा।
7. मतपत्र का क्रम संख्यांक, निर्वाचन की विशिष्टियां तथा शीट नम्बर मतपत्र के बायीं ओर एक आड़े कॉलम (Vertical Column) में मुद्रित किये जायेंगे और ऐसे आड़े कॉलम को अभ्यर्थियों के नाम व नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प तथा चिन्हों वाले पैनल से एक मोटी लाईन से पृथक किया जायेगा।
8. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र में उसी क्रम में आयेंगे जिस क्रम में वे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में वर्णित हैं। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प उपलब्ध होगा।
9. जहाँ चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) 15 या इससे कम है, वहाँ अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र की एक शीट पर व्यवस्थित किये जायेंगे अर्थात् मतपत्र एक ही शीट में मुद्रित होगा। अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) 15 से कम होने की स्थिति में नोटा के पैनल से नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।
10. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 15 से अधिक एवं नोटा सहित 30 या इससे कम है तो मतपत्र दो शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 15 तक के अभ्यर्थी व्यवस्थित किये जायेंगे और द्वितीय शीट पर 16 से 30 तक के अभ्यर्थी (नोटा सहित) व्यवस्थित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या 30 से कम होने की स्थिति में द्वितीय शीट में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 25 है तो 1 से 15 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर एवं 16 से 25 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर एवं 25 वें अभ्यर्थी के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

11. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 30 से अधिक एवं नोटा सहित 45 या इससे कम है तो मतपत्र तीन शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 15 तक के अभ्यर्थी, द्वितीय शीट पर 16 से 30 तक के अभ्यर्थी एवं तृतीय शीट पर 31 से 45 तक के अभ्यर्थी (नोटा सहित) व्यवस्थित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या 45 से कम होने की स्थिति में तृतीय शीट में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 40 है तो 1 से 15 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर, 16 से 30 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर एवं 31 से 40 तक के अभ्यर्थी तृतीय शीट पर एवं 40 के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

12. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 45 से अधिक एवं नोटा सहित 60 या इससे कम है तो मतपत्र चार शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 15 तक के अभ्यर्थी, द्वितीय शीट पर 16 से 30 तक के अभ्यर्थी, तृतीय शीट पर 31 से 45 तक के अभ्यर्थी एवं चतुर्थ शीट पर 46 से 60 तक के अभ्यर्थी नोटा सहित व्यवस्थित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों की संख्या 60 से कम होने की स्थिति में चतुर्थ शीट पर अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 55 है तो 1 से 15 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर, 16 से 30 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर, 30 से 45 तक के अभ्यर्थी तृतीय शीट पर एवं 46 से 55 तक के अभ्यर्थी चतुर्थ शीट पर एवं 55 के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

13. यदि किन्हीं स्थितियों में अभ्यर्थियों की संख्या 15/30/45 है (नोटा सम्मिलित नहीं), तो मतपत्र क्रमशः दो/तीन/चार शीटों में मुद्रित होगा एवं द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ शीट पर सिर्फ नोटा का विकल्प ही अंकित किया जाएगा। नोटा से नीचे के सभी पैनल खाली रहेंगे।
14. यदि मतपत्र की एक से अधिक शीट होती है वहाँ मद संख्या 7 में वर्णित आड़े कॉलम, जिसमें कि मतपत्र का क्रम संख्यांक और निर्वाचन की विशिष्टताएं अंकित करने के लिये स्थान छोड़ा गया है, में ही शीट की क्रम संख्यांक दर्शित करते हुए शब्द व अंक मोटे अक्षरों में यथा शीट नम्बर-1, शीट नम्बर-2 आदि मुद्रित किया जायेगा।
15. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखे जायेंगे। निर्वाचन की विशिष्टताएं और शीट नम्बर भी हिन्दी में देवनागरी लिपि में रखे जायेंगे।
16. अभ्यर्थियों के लिये निर्दिष्ट पैनल में बाईं ओर क्रम संख्या के साथ अभ्यर्थियों का नाम मुद्रित होगा तथा पैनल में दाईं ओर उन्हें आवंटित निर्वाचन प्रतीक मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प बाईं ओर तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक दाईं ओर होगा।
17. मतपत्र पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए नीले, जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन के लिए पीले, सरपंच के निर्वाचन के लिए सफेद एवं पंच के निर्वाचन के लिए गुलाबी रंग के कागज पर मुद्रित होगा।

**B. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) एवं इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित अन्य मॉडल की मशीनों हेतु**

1. मतपत्र की कुल लम्बाई 461.5 मिलीमीटर होगी और उसकी चौड़ाई 138 मिलीमीटर होगी।
2. मतपत्र के ऊपर 7.50 मिलीमीटर ऊंचाई में और 138 मिलीमीटर चौड़ाई में खाली जगह होगी।
3. उक्त मद संख्या-2 में वर्णित मतपत्र के ऊपर खाली जगह के ठीक नीचे एक मिलीमीटर की आर-पार मोटी लाईन होगी।
4. उक्त मद संख्या-3 में वर्णित लाईन के नीचे प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा उसे आवंटित प्रतीक प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए पृथक पैनल में मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नाम के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक भी पृथक पैनल में मुद्रित होगा।

5. प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का पैनल 27.5 एम.एम. ऊंचाई में और 138 एम.एम. चौड़ाई के आकार में होगा।
6. अभ्यर्थियों के पैनल एक दूसरे से एक एम.एम. मोटी लाईन से पृथक किये जायेंगे। तथा अंतिम अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प का पैनल भी एक दूसरे से 1 एम.एम. मोटी लाईन से पृथक किया जायेगा।
7. मतपत्र का क्रम संख्यांक, निर्वाचन की विशिष्टता तथा शीट नम्बर मतपत्र के बायीं ओर एक आड़े कॉलम (Vertical Column) में मुद्रित किये जायेंगे और ऐसे आड़े कॉलम को अभ्यर्थियों के नाम व नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प तथा चिन्हों वाले पैनल से एक मोटी लाईन से पृथक किया जायेगा।
8. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र में उसी क्रम में आयेंगे जिस क्रम में वे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में वर्णित हैं। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प उपलब्ध होगा।
9. जहाँ चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) 16 या इससे कम है, वहाँ अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र की एक शीट पर व्यवस्थित किये जायेंगे अर्थात् मतपत्र एक ही शीट में मुद्रित होगा। अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) 16 से कम होने की स्थिति में नोटा के पैनल से नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।
10. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक एवं नोटा सहित 32 या इससे कम है तो मतपत्र दो शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 16 तक के अभ्यर्थी व्यवस्थित किये जायेंगे और द्वितीय शीट पर 17 से 32 तक के अभ्यर्थी (नोटा सहित) व्यवस्थित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या 32 से कम होने की स्थिति में द्वितीय शीट में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 25 है तो 1 से 16 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर एवं 17 से 25 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर एवं 25 वें अभ्यर्थी के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

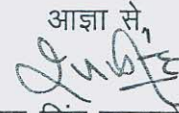
11. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 32 से अधिक एवं नोटा सहित 48 या इससे कम है तो मतपत्र तीन शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 16 तक के अभ्यर्थी, द्वितीय शीट पर 17 से 32 तक के अभ्यर्थी एवं तृतीय शीट पर 33 से 48 तक के अभ्यर्थी (नोटा सहित) व्यवस्थित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या 48 से कम होने की स्थिति में तृतीय शीट में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 40 है तो 1 से 16 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर, 17 से 32 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर एवं 33 से 40 तक के अभ्यर्थी तृतीय शीट पर एवं 40 के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

12. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 48 से अधिक एवं नोटा सहित 64 या इससे कम है तो मतपत्र चार शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 16 तक के अभ्यर्थी, द्वितीय शीट पर 17 से 32 तक के अभ्यर्थी, तृतीय शीट पर 33 से 48 तक के अभ्यर्थी एवं चतुर्थ शीट पर 49 से 64 नोटा सहित तक के अभ्यर्थी व्यवस्थित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों की संख्या 64 से कम होने की स्थिति में चतुर्थ शीट पर अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 55 है तो 1 से 16 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर, 17 से 32 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर, 33 से 48 तक के अभ्यर्थी तृतीय शीट पर एवं 49 से 55 तक के अभ्यर्थी चतुर्थ शीट पर एवं 55 के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

13. यदि किन्ही स्थितियों में अभ्यर्थियों की संख्या 16/32/48 है (नोटा सम्मिलित नहीं), तो मतपत्र क्रमशः दो/तीन/चार शीटों में मुद्रित होगा एवं द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ शीट पर सिर्फ नोटा का विकल्प ही अंकित किया जाएगा। नोटा से नीचे के सभी पैनल खाली रहेंगे।
14. यदि मतपत्र की एक से अधिक शीट होती है वहाँ मद संख्या 7 में वर्णित आड़े कॉलम, जिसमें कि मतपत्र का क्रम संख्यांक और निर्वाचन की विशिष्टताएं अंकित करने के लिये स्थान छोड़ा गया है, में ही शीट की क्रम संख्यांक दर्शित करते हुए शब्द व अंक मोटे अक्षरों में यथा शीट नम्बर-1, शीट नम्बर-2 आदि मुद्रित किया जायेगा।
15. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम एवं नोटा, (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखे जायेंगे। निर्वाचन की विशिष्टताएं और शीट नम्बर भी हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखे जायेंगे।
16. अभ्यर्थियों के लिये निर्दिष्ट पैनल में बाँई ओर कम संख्या के साथ अभ्यर्थियों का नाम मुद्रित होगा तथा पैनल में दाई ओर उन्हें आवंटित निर्वाचन प्रतीक मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प बाँई ओर तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक दाँई ओर होगा।
18. मतपत्र पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए नीले, जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन के लिए पीले, सरपंच के निर्वाचन के लिए सफेद एवं पंच के निर्वाचन के लिए गुलाबी रंग के कागज पर मुद्रित होगा।

आज्ञा से,  
  
 (श्याम सिंह राजपुरोहित)  
 मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
 एवं सचिव

क्रमांक: एफ.1(2)(1)/नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/ 5737- 4।  
 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक : 21/12/19

1. समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, राजस्थान मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
3. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।
4. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ई-गजट पर अपलोड करने/समस्त संबंधितों को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. लेखा/कम्प्यूटर/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

  
 (अशोक कुमार जैन)  
 उप सचिव